# न्यायालय अति० जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

| प्रकरण संख्या | रजि० नं० 2023 / | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 15 / 01 / 2025 | 2025 / 14 | 28.03.2025 | 04.06.2025 |

1– सरकार जर्ये लेण्ड होल्डर तहसीलदार खैरथल जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थी

बनाम

1–प्रदान संस्था किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अप्रार्थी

अति० जिला कलक्टर न्यायालय सत्यमेव जयते खैरथल-तिजारा (राज०)

प्रार्थना पत्र 14(4) वाके ग्राम खैरथल की आराजी खसरा न0 2072/1 रकबा 1.26 है0 किस्म बंजड जिसके द्वारा आराजी अप्रार्थी के नाम तहसीलदार किशनगढबास द्वारा सनद पटटा संख्या 616/1996 के द्वारा सर्शतः भूमि आंवटन की गयी है, तथा सनद पटटे के आधार पर नामान्तकरण संख्या 2648 दिनाक 15.04.1998 के द्वारा आराजी प्रदान संस्था किशनगढबास के नाम दर्ज हुई है, को निरस्त किये जाने बाबत।

उपस्थित–

01. विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित

## –:निर्णयः–

सरकार जर्ये लेण्ड होल्डर तहसीलदार खैरथल जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) ने यह प्रार्थना पत्र 14(4) ग्राम खैरथल की आराजी खसरा न0 2072/1 रकबा 1.26 है0 किस्म बंजड जिसके द्वारा आराजी अप्रार्थी को तहसीलदार किशनगढबास द्वारा एक सनद पटटा संख्या 616/1996 के द्वारा सर्शतः भूमि आंवटन प्रदान संस्था किशनगढबास को की गयी है, तथा जारी सनद पटटे के आधार पर नामान्तकरण संख्या 2648 दिनाक 15.04.1998 ग्राम खैरथल के द्वारा आराजी प्रदान संस्था किशनगढबास के नाम दर्ज हुई है, से व्यथित होकर पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र 14(4) दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विभागीय प्रतिनिधी ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि ग्राम खैरथल की आराजी खसरा न0 2072/1 रकबा 1.26 है0 किस्म बंजड हाल राजस्व रिकार्ड में प्रदान संस्था किशनगढबास के नाम दर्ज रिकार्ड है, उक्त आराजी प्रदान संस्था किशनगढबास को तहसीलदार किशनगढबास द्वारा एक सनद पटटा संख्या 616/1996 के द्वारा सर्शतः भूमि आंवटन की गयी है, तथा जारी सनद पटटे के आधार पर नामान्तकरण संख्या 2648 दिनाक 15.04.1998 ग्राम खैरथल राजस्व रिकार्ड में आराजी प्रदान संस्था किशनगढबास के नाम दर्ज हुई। वर्तमान में माके पर दो मकान बने हुऐ है, जो कि जर्जर स्थिति में है। तथा शेष पर घास व झाडिया खडी हुई है। आंवटित आराजी पर प्रदान संस्था किशनगढबास द्वारा कोई गतिविधिया नही की जा रही है। वर्तमान में खैरथल जिला सर्जन होने से भूमि की आवश्यकता को देखते हुऐ उक्त भूमि को अन्य किसी राजकीय कार्यालय के भवन निर्माण हेतु उपयोग में ली जा सकती है। प्रदान संस्था किशनगढबास द्वारा आंवटित आराजी पर तय शर्तो का उल्लधंन किया गया है, जिसके आधार पर प्रदान संस्था किशनगढबास को किये

अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा

नकल,
जारी अवलोकनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।
26/06/23

आंवटन आदेश को निरस्त किया जावे। प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार किया जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव विभागीय प्रतिनिधि की बहस पर मनन किया। विभागीय प्रतिनिधि का मुख्य कथन है, कि ग्राम खैरथल की आराजी खसरा न0 2072/1 रकबा 1.26 है0 किस्म बंजड हाल राजस्व रिकार्ड में प्रदान संस्था किशनगढबास के नाम दर्ज रिकार्ड है, आराजी प्रदान संस्था किशनगढबास को तहसीलदार किशनगढबास द्वारा एक सनद पटटा संख्या 616/1996 के द्वारा सर्शतः भूमि आंवटन की गयी है, तथा जारी सनद पटटे के आधार पर नामान्तकरण संख्या 2648 दिनाक 15.04.1998 ग्राम खैरथल राजस्व रिकार्ड में आराजी प्रदान संस्था किशनगढबास के नाम दर्ज हुई। वर्तमान में माके पर दो मकान बने हुऐ है, जो कि जर्जर स्थिति में है। तथा शेष पर घास व झाडिया खडी हुई है। आंवटित आराजी पर प्रदान संस्था किशनगढबास द्वारा कोई गतिविधिया नही की जा रही है। वर्तमान में खैरथल जिला सर्जन होने से भूमि की आवश्यकता को देखते हुऐ उक्त भूमि को अन्य किसी राजकीय कार्यालय के भवन निर्माण हेतु उपयोग में ली जा सकती है। प्रदान संस्था किशनगढबास द्वारा आंवटित आराजी पर तय शर्तो का उल्लधंन किया गया है, जिसके आधार पर प्रदान संस्था किशनगढबास को किये आंवटन आदेश को निरस्त किया जावे। पत्रावली के संलग्न रिकार्ड से स्पष्ट है, कि तहसीलदार किशनगढबास द्वारा एक सनद पटटा संख्या 616/1996 के द्वारा सर्शतः भूमि आंवटन की गयी है, जिसमें शर्तो का स्पष्ट उल्लेख अंकित है, कि भूमि का बेचान संस्था के द्वारा नही किया जावेगा, भूमि को रहन एंव किराये पर देने का अधिकार संस्था को नही होगा, संस्था के द्वारा ट्रेनिंग कम रिसर्च सैन्टर हेतु उपयोग में नही लिया गया तो आंवटित भूमि राज्य सरकार के अधीन हो जावेगी। उक्त प्रकरण में प्रदान संस्था किशनगढबास आंवटित आराजी पर तय शर्तो का उल्लधंन किया गया है, तय शर्तो का उल्लधंन पाये जाने पर किये गये आंवटन को नियम 14(4) के तहत निरस्त किये जाने का प्रावधान है। सरकार जर्ये लेण्ड होल्डर तहसीलदार खैरथल जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) द्वारा पेश प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सरकार जर्ये लेण्ड होल्डर तहसीलदार खैरथल जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) द्वारा पेश प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार किया जाता है, आदेश दिये जाते है, कि ग्राम खैरथल की आराजी खसरा न0 2072/1 रकबा 1.26 है0 किस्म बंजड जिसके द्वारा आराजी अप्रार्थी को तहसीलदार किशनगढबास द्वारा एक सनद पटटा संख्या 616/1996 के द्वारा सर्शतः भूमि आंवटन प्रदान संस्था किशनगढबास को की गयी है, तथा जारी सनद पटटे के आधार पर नामान्तकरण संख्या 2648 दिनाक 15.04.1998 ग्राम खैरथल के द्वारा आराजी प्रदान संस्था किशनगढबास के नाम दर्ज हुई है, निरस्त किये जाते है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवपाल जाट)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)

न्यायालय अति0 जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
तिजारा (राज0)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा